जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सरायकेला-खरसावाँ।

दूरभाष - 06597-234162/E mail- ddc-sar@mail.nic

- अल्पकालीन निविदा सूचना -

मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक- (N) 556 (अनु0) दिनांक 20.05.2021 के आलोक में मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बागवानी हेतु सरायकेला-खरसावाँ जिला अंतर्गत सभी प्रखण्डों में खाद, दवा एवं बागवानी हेतु प्रयुक्त अन्य सामग्री का क्रय किया जाना है। पंजीकृत विक्रेता/आपूर्तिकर्त्ता/ग्राम संगठन/कृषक उत्पादक कम्पनी/कृषक उत्पादक समूह/कृषक कॉ-ऑपरेटिव जिनके पास नीचे अंकित सामग्रियों के कारोबार करने का लाईसेंस/प्रमाण पत्र एवं TIN No- उपलब्ध है, इच्छुक निर्माताओं/आपूर्तिकत्ताओं से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है :-

Sl.No.	Name of Material	
1	Compost	Vermi-Compost(in kg)
2		Farm Yard Manure (in kg)
3		Bone meal/SSP(in kg)
4		Dolomite(in kg)
5		Karanj/Neem oil cake(in kg)
6	Fungicides	Chlorothalonil 75% WP (in kg)
7		Copper Oxychloride (Blue Copper or equivalent (In kg)
8		Trichoderma viridi 1.5%WW(2x10^6-10^8CFU/gm) (in kg)
9	Insecticides	Fipronil 0.3 GR (In kg)
10		Azadirechtin 3000 PPM (In Ltr.)
11		Lamda-cyhalothrin 5% EC (In Ltr.)
12	Anti-termite	Bifenthrin 2.5% EC; Biflex TC or equivalent) (In Ltr.)
13	Chemical Fertilizer	Urea (in Kg)
14		NPK 10:26:26/Sufala or Equivalent (in Kg)
15		MoP (in kg)
16		SSP (in kg)
17		Micronutrient (Totocare/Agromin/Equivalent) (in Ltr.)
18	Plastic	250 micron thick UV stabilized black Polythene sheet for Jalkund.(in kg)

नोट :-

3. निविदा की सामग्री नियम एवं शर्तों की पूर्ण विवरणी सरायकेला-खरसावाँ जिला के वेबसाईट www.seraikela.nic.in पर एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सरायकेला-खरसावाँ (मनरेगा कोषांग) से प्राप्त किया जा सकता है।
4. इच्छुक निविदादाता दिनांक 08.06.2021 को अपराह्न 02:00 बजे तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सरायकेला-खरसावाँ में मुहरबंद निविदा जमा कर सकते हैं। निविदा उसी दिन दिनांक- 08.06.2021 को अपराह्न 03:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से निविदा में उल्लेखित सामग्रियों के नमूना के साथ उपस्थित रहेंगे। लिफाफे के ऊपर Plantation Under MGNREGA अंकित किया जायेगा।

निविदा की शर्ते निम्नवत् है :-

1. निविदादाता को तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड दो अलग-अलग सीलबंद लिफाफा में देना होगा।
2. निविदादाता एक लिफाफे पर साफ-साफ शब्दों में ''तकनीकी बिड'' लिख कर उसमें निविदा के साथ मांगे गये सारे कागजात और प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति (अग्रधन राशि का ड्राफ्ट सहित) डालेंगे एवं उसे मुहरबंद करेंगे तथा उस पर अपना नाम एवं पता साफ-साफ लिखेंगे।
3. दूसरे लिफाफे पर साफ-साफ शब्दों में ''वित्तीय बिड'' अंकित करेंगे। उस लिफाफे में उक्त सामग्री के Company के नाम के साथ दर (प्रति किलो0 या प्रति लीटर) में अंकित करेंगे और उसे लिफाफा में डाल कर मुहरबंद करेंगे। उस लिफाफा में दर के अलावे कोई अन्य कागजात नहीं डाला जाएगा। उस लिफाफे पर भी अपना नाम एवं पता साफ-साफ अंकित करेंगे।
4. तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड दोनों लिफाफे एक अन्य मुहरबंद लिफाफे में डालकर उस लिफाफे को बंद करेंगे और उस पर अपना नाम, पता एवं दूरभाष संख्या अंकित करेंगे।

आवश्यक कागजात जिसे तकनीकी बिड के लिफाफे में जमा करना अनिवार्य है :-

1. निविदा के साथ अधिकृत आपूर्तिकर्त्ता/निर्माता होने का प्रमाण पत्र।
2. पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की छाया प्रति।
3. जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र तथा मार्च 2021 का रिटर्न अद्यतन (GST R-3B) की प्रति।
4. विगत तीन वित्तीय वर्ष 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 का आयकर रिटर्न की प्रति।
5. निविदादाता को अग्रधन के रूप में 10,000.00 (दस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के नाम से जमा करना होगा।
6. फफुन्दनाशक, कीट नाशक एवं रसायनिक खाद के आपूर्ति के लिए सक्षम स्तर से निर्गत अनुज्ञप्ति पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
7. निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र पत्र समर्पित करना होगा कि -
   i. निविदादाता को किसी सरकारी विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है।
   ii. सामग्री की आपूर्ति योजना स्थल पर निविदा की शर्तों के अनुरूप निर्धारित समय-सीमा के अंदर किया जायेगा। आपूर्ति की जाने वाली सामग्री गुणवत्तापूर्ण नहीं हाने, नकली/एक्सपायरी होने की स्थिति में संस्थान के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
   iii. निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी सभी जानकारी एवं कागजात सही है। उपलब्ध करायी गयी जानकारी एवं कागजात गलत पाये जाने पर उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं कार्यादेश रदद् किया जायेगा।
   iv. निविदा की सभी शर्तें एवं बागवानी योजना से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत सभी दिशा-निर्देश मान्य होगा।

अन्य शर्तें -

1. जिन निविदादाताओं को तकनीकी रूप से योग्य पाया जायेगा उन्हीं का वित्तीय बिड खोला जायेगा।
2. जिन निविदादाताओं की निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी, अग्रधन के रूप में जमा बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा।
3. कार्यस्थल तक सामग्री की आपूर्ति करने हेतु सभी प्रकार के कर, परिवहन एवं हथालन व्यय आदि सहित दर का उल्लेख करना अनिवार्य है।
4. निविदा को पूर्णत/अंशतः स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने, रदद् करने अथवा कार्यादेश/आपूर्ति आदेश को निविदादाताओं के बीच विभाजित करने का पूर्ण अधिकार उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, सरायकेला-खरसावाँ को सुरक्षित रहेगा।

5. प्रकाशित निविदा में माँगे गये सभी दस्तावेज की प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की छूट या विकल्प मान्य नहीं होगा।
6. आपूर्तिकर्त्ता को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
7. निविदा में इस जिले में पंजीकृत वैसे ग्राम संगठन/कृषक उत्पादक समूह/कृषक उत्पादक कंपनी/कृषक कॉ-ऑपरेटिंग (VO/FPG/FPC/Farmer`s Co-Operative) जिनके पास खाद, दवा आदि कारोबार करने का वैध लाईसेंस एवं GST नम्बर है तो उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।
8. आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा खाद सामग्रियों को योजना स्थल तक आपूर्ति किया जाना है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा आपूर्ति आदेश के आलोक में आपूर्ति किया जायेगा। आपूर्तिकर्त्ता अपनी पक्की रसीद के साथ संबंधित लाभुकों से एक संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही पंचायत में जमा करेगें।
9. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के आदेश आपूर्ति की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर निर्दिष्ट स्थल पर सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। यदि संबंधित आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्ति में विलम्ब/इन्कार किया जाता है तो उस स्थिति में उनके द्वारा जमा अग्रधन की राशि जब्त करते हुए उनके संस्थान को काली सूची में दर्ज किया जायेगा।
10. केंचुआ खाद (Vermi Compost) के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त दिशा-निर्देश ही अंतिम रूप से मान्य होगा। उसी के अनुरूप क्रय की कार्रवाई की जायेगी।
11. क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।
12. निविदा खुलने की तिथि को निविदादाता को निविदा में उल्लेखित सामग्रियों का सैंपल लेकर आना अनिवार्य है। चयनित निविदादाता द्वारा जो सैंपल दिखाये गये हैं, उक्त आलोक में की गयी आपूर्ति का भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्त्ता कार्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी के लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे एवं ऐसी स्थिति में चयनित निविदादाता की निविदा रद्द करते हुए भुगतान देय नहीं होगा।

ह०/-
उप विकास आयुक्त
सरायकेला-खरसावाँ

ज्ञापांक- ...115.... मनरेगा, दिनांक- ...31/5/21

प्रतिलिपि - जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से ससमय प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि - जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि जिला के वेबसाईट www.seraikela.nic.in पर उक्त निविदा की विवरणी अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि - अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ को सादर सूचनार्थ समर्पित।

31/5

उप विकास आयुक्त
सरायकेला-खरसावाँ